न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 93/2025(GCMS 2025/404)
(RTI No. 212626909806737)

श्री डूंगरमल पुत्र श्री सहीराम बिश्नोई चक 18 एनपी पोस्ट ऑफिस 15 एनपी वाया मुकलावा तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

<u>बनाम</u>

सहायक लोक सूचना अधिकारी **एवं तहसीलदार (राजस्व)**, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>15.12.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी डूंगरमल दिनांक 08.12.2025 को उपस्थित हुए थे परन्तु आज उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.07.2025 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने सहायक लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि डूंगरमल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.07.2025 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

1. चक 18 एनपी के मु.न. 15, पत्थर नं. 163/339, मु.नं. 16 पत्थर नं. व 164/339, मु.नं. 29 पत्थर नं 164/340 व मु.नं. 30 पत्थर नं. 163/340 के रंगीन नक्शे की प्रमाणित प्रति भू अभिलेख शाखा से सेटलमेंट के समय की दी जावे। नक्शे की प्रति समय सुथरी हो, जिसमें खाले व रास्ते के निशान स्पष्ट दिखाई दें।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/6395 दिनांक 26.1[illegible] से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:55:13 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी डूंगरमल पुत्र सहीराम द्वारा सूचना [illegible] अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना निम्न प्रकार है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 93/2025
(GCMS No. 2025/404)
(RTI No. : 212626909806737)

1. चक 18 एनपी के मु.नं. 15, 16, 29 व 30 के रंगीन नक्शा की नकल दिनांक 01.07.2025 को मांगी गई थी, जिसके क्रम में तहसील कार्यालय से दिनांक 15.07.2025 को साधारण डाक से एक पत्र भेजा गया जिसमें प्रतिलिपि की नकल किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में तहसील कार्यालय रायसिंहनगर से उक्त प्रति नियमानुसार प्राप्त करने हेतु लिखा गया। जिसमें प्रार्थी दिनांक 28.08.2025 को कार्यालय में उपस्थित हुआ, जिसमें प्रार्थी को नक्शा जो नकल उपलब्ध थी वह दिखाई गई, जिसकी प्रार्थी ने रंगीन नक्शा नकल उपलब्ध न होने के कारण नकल नहीं ली।
2. अब वर्तमान में यह नक्शा श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), महोदय के कार्यालय में इस कार्यालय पत्र क्रमांक 5543 दिनांक 16.09.2025 को भिजवाया जा चुका है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:55:13 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 93 / 2025
(GCMS No. 2025/404)
(RTI No. : 212626909806737)

	नही है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(जे), 3 एवं 7 के तहत सूचना दिये जाने के शुल्क के प्रावधान दिये गये।** परन्तु वर्तमान में तहसीलदार, रायसिंहनगर अपीलार्थी द्वारा वंछित सूचना से समबन्धित दस्तावेज अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को भिजवा दिया है। इसलिए अपीलार्थी अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के कार्यालय से नियमानुसार वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। चूंकि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार(भू.अ.), रायसिंहनगर के पास वर्तमान में अपीलार्थी द्वारा वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है। **अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी** की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति तहसीलदार(भू.अ.), रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो। **यह आदेश आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** Manju (डॉ. मन्जू) जिला कलक्टर श्रीगंगानगर जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:55:13 IST
Reason: SelfAttested